संख्या-5/2015/वे0आ0-1-859/दस-2015-4(एम)/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ- दिनांक- 21 अगस्त, 2015**

विषय- अधिष्ठान सम्बन्धी सूचना एवं निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन, उनके विश्लेषण तथा अधिष्ठान सम्बन्धी नीति विषयक मामलो का परीक्षण कर शासन को उपयोगी सुझाव देने हेतु वित्त विभाग के अधीन "अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो" स्थापित है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-3405/दस-89-88(एम)/89, दिनांक 20अक्टूबर, 1989द्वारा प्रारूप निर्धारित करते हुए प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च) सूचना मॉगी गयी थी। कुछ समय तक यह सूचना विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध करायी जाती रही परन्तु विगत कई वर्षों से अब यह सूचना बन्द कर दी गयी है। आप सहमत होंगे कि कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी नीतिविषयक मामलो में निर्णय लेने के लिये अधिष्ठान सम्बन्धी सूचनाएं न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आधारभूत भी है।

2- केन्द्रीय सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट निकट भविष्य में आनी सम्भावित है और इसके बाद राज्य सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वेतन आयोग/वेतन समिति गठित करने का निर्णय लिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली वेतन समिति के लिये भी कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी सूचनाओं की आवश्यकता होगी।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप संख्या-1 व 2 में अपने विभाग/कार्यालय की सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 31 अगस्त, 2105 तक निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, कक्ष संख्या-38 दरबारी लाल शर्मा भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा भविष्य में भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अपने विभाग/कार्यालय की सूचना संलग्न प्रारूपों में दिनांक 30 अप्रैल तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- यहॉ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष सीधे अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो को सूचना न भेजकर शासन के अपने प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करायेंगे और शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा संकलित सूचना अपने स्तर से निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

राहुल भटनागर
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2015/वे0आ0-1-859(1)/दस-2015-4(एम)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सभी विभागों/कार्यालयों से सूचना प्राप्त हो जाने पर संकलित सूचना शासन को दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो हेतु सूचना

विभाग/संस्था का नाम- **रूपपत्र-1**

दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति

क्र0सं0	पद नाम	पदों की संख्या			1-1-06 से लागू वेतनमान	प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन		द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन		तृतीस वित्तीय स्तरोन्नयन		आगामी 3 वर्ष में अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों की संख्या एवं वेतनमान/ग्रेड पे						अभ्युक्ति
		स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद		ग्रेड पे	लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	ग्रेड पे	लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	ग्रेड पे	लाभ प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	वर्ष 2015		वर्ष 2016		वर्ष 2017		
												संख्या	ग्रेड पे	संख्या	ग्रेड पे	संख्या	ग्रेड पे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

नोट- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों की सूचना भी एकत्र/संकलित कर (जनपद स्तर की सूचना सीधे न भेजकर) अपने स्तर से उपलब्ध करायें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाओं की पूर्ण रूप से जॉच कर जी गयी है और वह सही है।

हस्ताक्षर

पदनाम

मुहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूपपत्र-2

विभाग/कार्यालय का नाम

क्र0 सं0	संवर्ग/पद का नाम	समूह ''क'', ''ख'', ''ग'' एवं ''घ'' जिसमें संवर्ग/ पद आता हो	सेवा नियमावली लागू है अथवा नहीं	सेवा नियमावली लागू न होने की स्थिति में कार्यकारी आदेश जिससे संवर्ग/पद की सेवाएं नियंत्रित होती हो	सेवा नियमावली/ कार्यकारी आदेश की पठ्नीय प्रति संलग्न की जाय।	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।